

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या:

/आई0आर0डी0-2023 (म0भ0)

दिनांक

2023

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

राज्य में 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग कारखानों में नियोजित समस्त श्रेणी के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्तों की गणना के लिए शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4/2016/873/36-1-2016-549(एस0टी0)/8 दिनांक 14.09.2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी किये जाने का प्राविधान है। मंहगाई भत्ते का समायोजन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर 01 फरवरी से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर माह तक एवं 01 अगस्त से उसी वर्ष के जनवरी से जून माह तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर किये जाने का प्रवधान है।

उक्त के कम में अभियंत्रण इकाईयों में कार्यरत कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 239 अंकों के ऊपर जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक सूचकांक के औसत अंक 379 पर जो 01 फरवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक निम्नलिखित दृष्टान्त के अनुसार समस्त श्रेणी के कर्मकारों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

दृष्टान्त-(500 तक अकुशल श्रेणी हेतु) -

$[(379-239) \times 7440] \div 239 = (140 \times 7440) \div 239 = 4358.158 =$ अर्थात् रु0 4358.00 होगा।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 15-02-2023

पत्र संख्या: 2500-2522/आई0आर0डी0-2023 (म0भ0)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अपर श्रम आयुक्त (प्रवर्तन), मुख्यालय।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्यालय, कानपुर।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

12